भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1573
दिनांक09.12.2025 को उत्तरार्थ

पश्चिम बंगाल में पंचायत निकायों को वित्तीय आवंटन

†1573. श्री राजू बिष्टः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 14वें और 15वें वित्त आयोगों के अंतर्गत वर्ष 2019 मे पश्चिम बंगाल में पंचायत निकायों को किए गए वित्तीय आवंटनों का, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सहित, जिला-बार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2019 से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में पंचायतों के अंतर्गत शुरू की गई/निर्माणाधीन/पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2019 से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल में, विशेषकर दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): 14वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को ग्राम पंचायतों के लिए रुपये 14191.78 करोड़ आवंटित किए गए थे। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक पश्चिम बंगाल को त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए रुपये 21,611.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस राशि में से, वित्त वर्ष 2025-26 तक पश्चिम बंगाल को 19639.99 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 15वें वित्त आयोग अनुदान की अंतिम किस्त, अर्थात् वित्त वर्ष 2025-26 की द्वितीय किस्त, पश्चिम बंगाल को अभी तक जारी नहीं की गई है, क्योंकि राज्य ने वित्त वर्ष 2025-26 की प्रथम किस्त के लिए *ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट(GTC)* इस मंत्रालय को उपलव्ध नहीं कराया है।

पश्चिम बंगाल राज्य में14वें और15वें वित्त आयोग के तहत 2019 से पंचायत/ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवंटित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवंटित धनराशि (रुपये करोड़ में)	केंद्रीय वित्त आयोग
2019-20	4300.01	14वां वित्त आयोग
2020-21	4412.00	15वां वित्त आयोग (अंतरिम अवधि)
2021-22	3261.00	15वां वित्त आयोग
2022-23	3378.00	

2023-24	3415.00	
2024-25	3617.00	
2025-26	3528.00	
कुल	25911.01	

केंद्र सरकार केंद्रीय वित्त आयोग के तहत जिला-वार आवंटित राशि का विवरण नहीं रखती है, क्योंकि पंचायतों के बीच 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का आवंटन राज्य सरकारों द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। हालाँकि, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों का वर्षवार व्यय का विवरण ई-ग्रामस्वराज पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) पर उपलब्ध है।

(ख):केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों के अंतर्गत शुरू की गई/निर्माणाधीन/पूरी की गई परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा, जिसमें दार्जिलिंग और कलिम्पोंग भी शामिल हैं, नहीं रखा जाता है।

(ग):प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल(TMP) में दी गई जानकारी के अनुसार, 2022-23 से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

संस्थान	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (03.12.2025 तक)
जिला पंचायत प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र (स्थानीय निकाय -दार्जिलिंग)	1553	2896	4271	2714
जिला पंचायत प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र (स्थानीय निकाय -कालिम्पोंग)	0	3187	1999	1347
जिला पंचायत प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र (जिला पंचायत - उत्तरी दिनाजपुर)	3638	8574	5614	3417

(घ):चूंकि पश्चिम बंगाल राज्य ने स्वामित्व योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए स्वामित्व योजना पश्चिम बंगाल राज्य में लागू नहीं की गई है।

*****